भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 3031

उत्तर देने की तारीख- 07.08.2025

वन अधिकार अधिनियम की शर्तों में छूट

3031. श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे :

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों को दिए गए अधिकारों में "75 वर्ष तक अविरत निवास" की शर्त में छूट देने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या 75 वर्ष तक निवास की शर्त का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना व्यावहारिक रूप से कठिन है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार 75 वर्ष की आवश्यकता को कम करने या वैकल्पिक प्रमाण स्वीकार करने के लिए नियमों में संशोधन करने पर विचार कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त मामले पर किसी विशेषज्ञ समिति या राज्य वन विभागों से परामर्श किया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क): जनजातीय कार्य मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख): 'अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006' और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकारें अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं। मंत्रालय को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) से (ङ): 75 वर्ष की आवश्यकता को कम करने या प्रमाण के वैकल्पिक रूपों की अनुमति देने के लिए नियमों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव जनजातीय कार्य मंत्रालय में विचाराधीन नहीं है।

*****